



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404]
No. 404]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2002/वैशाख 11, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2002/VAISAKHA 11, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मई, 2002

का.आ. 477 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात से पूर्व मानवीय उपभोग में आने वाली जीवित मछली जिसमें मोलस्क एवं क्रस्टेशियन्स सम्मिलित हैं का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1185 तारीख 14 मई, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र भाग - 2, खंड - 3, उपखंड - (ii) तारीख 2 जून, 2001 में प्रकाशित किए गए थे ।

और ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी जाती है से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना से युक्त उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22.6.2001 को उपलब्ध करा दी गयी थी ।

और उक्त प्रस्ताव के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 19/3 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

1. यह अधिसूचित करती है कि निर्यात से पूर्व मानवीय उपभोग में आने वाली जीवित मछली जिसमें मोलस्क एवं क्रस्टेशन्स सम्मिलित है , क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी ।
2. जीवित मछली का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग के प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो मानवीय उपभोग में आ सकने वाली ऐसी जीवित मछली जिसमें मोलस्क एवं क्रस्टेशन्स भी सम्मिलित है , को निर्यात से पूर्व लागू होंगे ;
3. इस आदेश से संलग्न अनुसूची - 1 में उपवर्णित विनिर्देशों को मानवीय उपभोग में आने वाली ऐसी जीवित मछली जिसमें मोलस्क एवं क्रस्टेशन्स सम्मिलित है, के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ; और
4. किसी यूनिट द्वारा मानवीय उपभोग में आने वाली जीवित मछली जिसमें मोलस्क एवं क्रस्टेशन्स सम्मिलित है, का निर्यात तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक की वह उसको लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है और उसके साथ यह कथन करते हुए प्रमाणपत्र नहीं लगाया जाता है कि ऐसी यूनिट अधिकरण द्वारा अनुमोदित और मानीटर की गई है ।

इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को जीवित मछली के ऐसे सद्भावी नमूनों के समुद्री, भूमि और वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होंगी जिनका मूल्य समय-समय पर एक्जिम नीति में यथा अधिकथित अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक नहीं हो और जहां ऐसे उपबंध नहीं हैं वहां निःशुल्क नमूनों की मूल्य सीमा 2000/- रुपए (दो हजार रुपए) से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची - I

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के खंड (ग) के अनुसार मानवीय उपभोग में आने वाली जीवित मछली जिसमें मोलस्क एवं क्रस्टेशन्स सम्मिलित हैं के विनिर्देश निम्नलिखित होंगे ; -

(क) आयात करने वाले देशों के राष्ट्रीय मानक ; या

(ख) विदेशी क्रेता और निर्यातक के बीच करार पाए गए संविदात ^{संविदात} विनिर्देश, परन्तु यह तब जब कि वे आयात करने वाले देशों की स्वास्थ्य और अन्य अपेक्षाओं का समाधान करते हैं।

(ग) मानवीय उपभोग में आने वाली जीवित मछली जिसमें मोलस्क एवं क्रस्टेशन्स सम्मिलित हैं के किसी मामले में जिसके लिए ऊपर (क) और (ख) मानक उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाए गए मानक लागू किए जाएंगे ।

- अधिकरण के प्रतिनिधि (अध्यक्ष);
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि;
- भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकर्ता संगम के प्रतिनिधि;
- केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रतिनिधि;
- केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि ।

[फा. सं. 6/4/2000-ईआई एण्ड ईपी]
एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 1st May, 2002

S.O. 477(E).— Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting live fish including molluscs and crustaceans meant for human consumption to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India of Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 2nd June, 2001 vide notification S.O. No. 1185 dated the 14th May, 2001 of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce;

And whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within the period of thirty days from the date the said notification was made available to public;

And whereas the copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on 22.06.2001;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposal have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient to do so, for the development of the export trade of India, hereby-

- (1) notifies that live fish including molluscs and crustaceans meant for human consumption shall be subject to quality control and inspection prior to export;
 - (2) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of live fish (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, as the type of quality control, inspection and monitoring which shall be applied to such live fish including molluscs and crustaceans meant for human consumption prior to export;
 - (3) recognises the specifications, as set out in Schedule I appended to this Order as the standards specifications for such live fish including molluscs and crustaceans meant for human consumption; and
 - (4) prohibits the export of live fish including molluscs and crustaceans meant for human consumption by a unit unless it conforms to the standard specifications applicable to it and is accompanied by certificate stating that such unit is approved and monitored by the Agency.
2. Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of samples of live fish to prospective buyers, the value of which shall not exceed permissible limits as laid down in the Exim Policy from time to time and where no such provisions exist, the value of free sample(s) shall not exceed rupees two thousand.

SCHEDULE- I

Specifications for live fish including molluscs and crustaceans, which are meant for human consumption as per clause (c) of section 6 of the Export (Quality Control and Inspection), Act 1963 shall be-

- (a) National Standards of the importing countries; or

(b) Contractual specifications agreed to between the foreign buyer and the exporter provided the same satisfies the health and other requirements of the importing country.

(c) in the case of any "live fish" including molluscs and crustaceans meant for human consumptions for which no standard is available at (a) and (b) above, the standard formulated by an expert committee consisting of the following members shall be made applicable-

- Representative from the Agency (Chairman);
- Representative from the Marine Products Export Development Authority;
- Representative from the Sea food Exporters' Association of India;
- Representative from Central Institute of Fisheries Technology;
- Representative from Central Marine Fishery Research Institute.

[F. No. 6/4/2000-EI&EP]

M. V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

